न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **47/2008** दायर दिनाँक **20.08.2008**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र डालूराम, **2.** पन्नीदेवी पत्नी किशनाराम, **3.** मांगूराम पुत्र रूड़ाराम, **4.** नारायणराम पुत्र हनुमानराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	**1.** बजरंगलाल पुत्र मांगूराम, **2.** लखाराम पुत्र नारायणराम, **3.** रामबक्ष पुत्र नारायणराम, **4.** किशनाराम पुत्र नारायणराम, **5.** दूदाराम पुत्र जैसाराम, **6.** मोहनराम पुत्र जैसाराम, **7.** झूमरराम पुत्र जैसाराम, **8.** मूलाराम पुत्र भागीरथ, **9.** शंकरलाल पुत्र भागीरथ, **10.** उमादेवी पत्नी भागीरथ, **11.** छोटूराम पुत्र डालूराम, **12.** श्रवणराम पुत्र किशनाराम, **13.** भँवरलाल पुत्र मूलाराम, **14.** लालाराम पुत्र रूड़ाराम, **15.** पुसी पत्नी रूड़ाराम, 16/1 सुगना पत्नी मंगलाराम, 16/2 भँवराराम पुत्र मंगलाराम, 16/3 रामदेव पुत्र मंगलाराम, 16/4 सतु पुत्र मंगलाराम, 16/5 कमला पुत्री मंगलाराम, 16/6 मांगी पुत्री मंगलाराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, **17.** तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.
व
कब्जा हटाने।

उपस्थितः–

1. पक्षकारान्।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2008
दायर दिनाँक 20.08.2008, निर्णय दिनाँक 11.06.2018
कानाराम बनाम् बजरंगलाल, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **11.06.2018**

शरहद मौजा नूँवा के खेत खसरा संख्या 263 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 281 रकबा 10.06 बीघा व खसरा नम्बर 282 रकबा 20.16 बीघा का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16/6 के घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादीगण का वाद दिनाँक 07.03.2018 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–नूँवा में पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार डीडवाना ने पत्रांक 649 दिनाँक 09.04. 2018 में विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन क्रमांक 649 दिनाँक 09.06.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा नूँवा के खेत खसरा संख्या 263 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 281 रकबा 10.06 बीघा व खसरा नम्बर 282 रकबा 20.16 बीघा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 09.04.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 09.04.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–नूँवा

सहायक कलक्टर डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **11.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–नूँवा

सहायक कलक्टर डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **47/2008** दायर दिनाँक **20.08.2008**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र डालूराम, 2. पन्नीदेवी पत्नी किशनाराम, 3. मांगूराम पुत्र रूड़ाराम, 4. नारायणराम पुत्र हनुमानराम, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—नूँवा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बजरंगलाल पुत्र मांगूराम, 2. लखाराम पुत्र नारायणराम, 3. रामबक्ष पुत्र नारायणराम, 4. किशनाराम पुत्र नारायणराम, 5. दूदाराम पुत्र जैसाराम, 6. मोहनराम पुत्र जैसाराम, 7. झूमरराम पुत्र जैसाराम, 8. मूलाराम पुत्र भागीरथ, 9. शंकरलाल पुत्र भागीरथ, 10. उमादेवी पत्नी भागीरथ, 11. छोटूराम पुत्र डालूराम, 12. श्रवणराम पुत्र किशनाराम, 13. भँवरलाल पुत्र मूलाराम, 14. लालाराम पुत्र रूड़ाराम, 15. पुसी पत्नी रूड़ाराम, 16/1 सुगना पत्नी मंगलाराम, 16/2 भँवराराम पुत्र मंगलाराम, 16/3 रामदेव पुत्र मंगलाराम, 16/4 सतु पुत्र मंगलाराम, 16/5 कमला पुत्री मंगलाराम, 16/6 मांगी पुत्री मंगलाराम, समस्त,जाति—मेघवाल, निवासी—नूँवा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 188, R.T.Act.
व
कब्जा हटाने।

दिनाँक **11.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **उपस्थित पक्षकारान्** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा नूँवा के खेत खसरा संख्या 263 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 281 रकबा 10.06 बीघा व खसरा नम्बर 282 रकबा 20.16 बीघा का बाई मिट्स एण्ड

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 09.04.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव दिनाँक 09.04.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **11.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–नूँवा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–नूँवा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **47/2008** दायर दिनाँक **20.08.2008**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र डालूराम, 2. पन्नीदेवी पत्नी किशनाराम, 3. मांगूराम पुत्र रूड़ाराम, 4. नारायणराम पुत्र हनुमानराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बजरंगलाल पुत्र मांगूराम, 2. लखाराम पुत्र नारायणराम, 3. रामबक्ष पुत्र नारायणराम, 4. किशनाराम पुत्र नारायणराम, 5. दूदाराम पुत्र जैसाराम, 6. मोहनराम पुत्र जैसाराम, 7. झूमरराम पुत्र जैसाराम, 8. मूलाराम पुत्र भागीरथ, 9. शंकरलाल पुत्र भागीरथ, 10. उमादेवी पत्नी भागीरथ, 11. छोटूराम पुत्र डालूराम, 12. श्रवणराम पुत्र किशनाराम, 13. भँवरलाल पुत्र मूलाराम, 14. लालाराम पुत्र रूड़ाराम, 15. पुसी पत्नी रूड़ाराम, 16/1 सुगना पत्नी मंगलाराम, 16/2 भँवराराम पुत्र मंगलाराम, 16/3 रामदेव पुत्र मंगलाराम, 16/4 सतु पुत्र मंगलाराम, 16/5 कमला पुत्री मंगलाराम, 16/6 मांगी पुत्री मंगलाराम, समस्त,जाति–मेघवाल, निवासी–नूँवा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 17. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 188, R.T.Act.
व
कब्जा हटाने।

उपस्थितः–

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री मो0 अली शेरानी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 04, 05, 07, 09 ता 11 की ओर से।
3. श्री नागपालसिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 09, 12 ता 14 व 16 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2008
दायर दिनाँक 20.08.2008, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 07.03.2018
कानाराम, वगैरा बनाम् बजरंगलाल, वगैरा।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक **07.03.2018**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि शरहद नूँवा में खसरा नम्बर 263 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 281 रकबा 10.06 बीघा, खसरा नम्बर 282 रकबा 20.16 बीघा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 16 के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि है। नकल पेश है।

वादीगण की रिहायशी ढाणी खसरा नम्बर 263 में नजरीनक्शा अनुसार बनी है। नजरीनक्शा में मार्क ए बी सी डी भाग में वादी नारायणराम की ढाणी है जिसमें दो पक्के मकान व छान है मार्क डी ई आई एल एम जेड, एन ओ जे एफ डी सम्पूर्ण जायगा पर वादीगण कानाराम व श्रवणराम तथा वादी पन्नीदेवी का कब्जा है जिसके अन्दर पक्के मकान बने हुए है। मार्क पी क्यू आर एस के की भूमि वादी मांगूराम व उसके भाई प्रतिवादी लालाराम व माता देवी के रहवासी मकान हैं। नजरीनक्शा का अनुसूची "अ" से दर्शाया गया है।

नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी को वादी नारायणराम के पिता ने स्वर्गीय भूराराम से मौखिक खरीद की है। स्वर्गीय भूराराम के प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के पिता दोहरा है जो स्वर्गीय भूराराम के गोद आ गया।

गैरमुमकिन ढाणी में से स्वर्गीय जैसाराम के हिस्से की भूमि अरसे–दराज पहले वादी कानाराम ने खरीद ली व स्वर्गीय जैसाराम ने अपना हिस्सा वादी कानाराम के पक्ष में छोड़कर उक्त खसरे के सामने वाले भाग खसरा नम्बर 281 व 282 में अपनी रहवासी ढाणी बना ली। वर्तमान में भी कृषि भूमि में स्वर्गीय जैसाराम के पुत्रगण आबाद हैं। प्रतिवादीगण मंगलाराम का हिस्सा प्रतिवादी बोदूराम ने खरीद ली, जहाँ बादूराम आबाद है।

वाद में वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 16 का वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 263, 281, 282 में खातेदारी में नाम होने तथा आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है जिनका हित वादीगण से भिन्न नहीं है मगर शकून्त पर हजिर नहीं होने से प्रर्फोर्मा प्रतिवादीगण बनाया गया है।

बिनाय दावा प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 04 के पिता नारायणराम द्वारा अन्तर्गत धारा 145–146 सीआर.पी.सी. का मुकदमा नम्बर 153/92 का दर्ज करवाने तथा दिनाँक 24.02.2008 को नजरीनक्शा में वर्णित जायगा से बेदखल करने की धमकी देने पैदा हुआ व हो रहा है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद नूँवा के खसरा नम्बर 263, 281 व 282 में वर्णित ढाणियों में तथा नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में वर्णित जायगा रहवासी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2008
दायर दिनाँक 20.08.2008, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 07.03.2018
कानाराम, वगैरा बनाम् बजरंगलाल, वगैरा।

मकानात् से प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 बेदखल नहीं करे, इस अमर की घोषणा की जावे।

वाद वर्णित तथा नक्शा में वर्णित जायगा जहाँ वादीगण के रिहायशी मकानात् बने हुए हैं, में, न स्वयं दखल करे न किसी अन्य से करावे। इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 के विरुद्ध जारी की जावे।

दौराने वाद वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण वादी की किसी भूमि पर कब्जा कर लेवे तो वापिस वादीगण को दिलवावे।

तहसीलदार डीडवाना के नाम आदेश जारी किया जावे कि दौराने वाद वादग्रस्त भूमि का बैचाण या गिरवीनामा का पंजीयन नहीं करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 12 ता 17 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक पेश किया गया।

वादीगण संख्या 01 व 03 तथा प्रतिवादीगण 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 16/1 व 16/2 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई गयी व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादीगण की पहचान वकील श्री अजीतसिंह राठौड़ ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री वकील नागपालसिंह राठौड़ ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में अपना शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ", जमाबन्दी सम्वत् 2061–2067 पेश की है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गई। विद्वान वकुलाय पक्षकारान् वाद में प्राथमिक निर्णय किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद नूँवा के वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16/6 तक सहखातेदार हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार है।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 47/2008
दायर दिनाँक 20.08.2008, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 07.03.2018
कानाराम, वगैरा बनाम् बजरंगलाल, वगैरा।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर मौजा नूँवा के खेत खसरा संख्या 263 रकबा 0.06 बीघा गैरमुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 281 रकबा 10.06 बीघा व खसरा नम्बर 282 रकबा 20.16 बीघा का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 16/6 तक के मध्य्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

प्राथमिक निर्णय आज दिनाँक **07.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner